भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2595

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत निधि का आवंटन

2595. श्री बालाशौरी वल् लभनेनीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाजार संपर्क, मूल्य शृंखला प्रबंधन आदि के लिए राज्यों को कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की जियो टैगिंग की जा रही है और यदि हाँ, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): एग्रीकल्वर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, कोल्ड चैन और संग्रहण केंद्रों जैसे फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन में सहायता देकर बाजार संपर्क और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सुविधाएं नुकसान को कम करने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने तथा किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।

इस योजना के तहत ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन के कुल मूल्य में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अस्थायी रूप से वितरित किया जाता हैं | हालांकि, राज्य 1 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह आवंटन विभिन्न ऋणदाता संस्थानों द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋणों के लिए है। राज्यों के बीच अनुमानित आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): वित्त वर्ष 2025-26 तक की पूरी अवधि के लिए 6,540 करोड़ रुपये के कुल योजना आवंटन में से, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्वीकृत ऋणों का वर्षवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): 30 जून, 2025 तक, एआईएफ के तहत स्वीकृत कुल 1,13,419 परियोजनाओं में से 62,630 परियोजनाओं को जियो-टैग किया जा चुका है, जिनमें आंध्र प्रदेश की 3,205 परियोजनाओं में से 361 परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुबंध-I

राज्यों को अनुमानित आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन राशि (करोड़ में)
1.	मध्य प्रदेश*	11940
2.	आंध्र प्रदेश	6540
3.	महाराष्ट्र*	10060
4.	राजस्थान	9015
5.	तेलंगाना*	4965
6.	कर्नाटक*	5375
7.	गुजरात	7282
8.	उत्तर प्रदेश	12831
9.	तमिलनाडु	5990
10.	हरियाणा*	4850
11.	पंजाब*	7050
12.	पश्चिम बंगाल	7260
13.	केरल	2520
14.	छत्तीसगढ़*	2490
15.	बिहार	3980
16.	ओडिशा	2500
17.	असम	2050
18.	उत्तराखंड	785
19.	हिमाचल प्रदेश	925
20.	झारखंड	1445
21.	गोवा	110
22.	दिल्ली	102
23.	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	900
24.	अरुणाचल प्रदेश	290
25.	चंडीगढ़*	20
26.	मेघालय	190
27.	मिजोरम	196
28.	नागालैंड	230
29.	सिक्किम	56
30.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	32
31.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	40
32.	मणिपुर	200
33.	त्रिपुरा	360
34.	पुदुचेरी	48
35.	लक्षद्वीप	11

***राज्यों के अनुरोध पर संशोधित आवंटन**

अनुबंध-II

आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और ऋणों का वर्षवार विवरण

(राशि रुपये करोड़ में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
2022-23	422	472.3
2023-24	31	265.5
2024-25	952	462.3*
2025-25 (30 जून 2025 तक)	264	251.1

**नाबार्ड द्वारा पैक्स को 973 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी

*****